प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला जयपुर ...थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर वर्ष 2023
   प्र0इ0रि0 सं0 ..... 47 /2023.....दिनांक.....23/2/2023.....

2. (I) *अधिनियम ... धारायें. 7 (संशोधित) पीसी एक्ट 2018
   (II) *अधिनियम.....धारायें ..
   (III)*अधिनियम .....धारायें .....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....451.. समय . 10.10 P.M.
   (ब) अपराध घटने का दिन -बुधवार दिनांक 22.02.2023 समय 10:22 ए.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 11.02.2023 समय 5:30पी.एम.

4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक लिखित

5. घटनास्थल:-थाना मालपुरा गेट, जयपुर (पूर्व), जयपुर
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:-दक्षिण दिशा दूरी करीब 10 कि0मी0
   (ब) पता :
   बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-
   (अ) नाम:-श्री विष्णु लखेरा
   (ब) पिता/पति का नाम -श्री महेश चन्द लखेरा
   (स) जन्म तिथि/वर्ष .....28वर्ष.....
   (द) राष्ट्रीयता-भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय -
   (ल) पता -उम्र 28 वर्ष निवासी 07, सुनीता कॉलोनी, माल की ढाणी, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :-
   श्री हनुमन्त सिंह पुत्र श्री हजारी लाल, उम्र 52 वर्ष, जाति गुर्जर निवासी गांव खुर्री कलाँ थाना सैथल, जिला दौसा हाल एएसआई थाना मालपुरा गेट, जयपुर (पूर्व), जयपुर

परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-..कोई नहीं.....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
5,000 रूपये रिश्वती राशि

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य:-5,000/-रूपये रिश्वती राशि

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-

हालात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 11.02.2023 समय करीब 5.30 पीएम परमन् नीरज गुरनानी उप अधीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम को अति0 पुलिस अधीक्षक श्री आलोक चन्द्र शर्मा ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर वहां पर उपस्थित व्यक्ति का परिचय परिवादी श्री विष्णु लखेरा पुत्र श्री महेश चन्द लखेरा जाति लखेरा, उम्र 28 वर्ष निवासी 07, सुनीता कॉलोनी, माल की ढाणी, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान से परिचय करवाते हुये परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के आदेश फरमाये। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस परिवादी को साथ लेकर मय प्रार्थना-पत्र अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा परिवादी से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे हस्तलेख से लिखा हुआ है जिसमें मैने अंकित किया है कि''मै उपरोक्त पते का रहने वाला हूं तथा मै चुडियों की दूकान करता हूं। मेरा दर्ज करवाया हुआ एक मुकदमा नं. 67/2023 पुलिस थाना मालपुरा गेट जयपुर में दर्ज करवाया हुआ है। जो राजाबाबू साहू के खिलाफ है। जिसका अनुसंधान अधिकारी श्री हनुमंत एएसआई है। कार्यवाही करने के सम्बन्ध में मै थाने के एएसआई हनुमंत सिंह से मिला तो पहले तो वह कार्यवाही सही प्रकार से करने में टालमटोल करने लगा अभी करीब तीन दिन पहले मै कार्यवाही करवाने के लिए हाथाजोडी करने हनुमंत सिंह के पास मिला तो उसने कहा कि मुकदमें के आरोपी राजाबाबू को मै थाने पर बुलाकर या तो तेरे पैसे दिलवा दूगां या मेरे सामने वापस एक चैक उसी राशि का उससे हमारे सामने हस्ताक्षर करवा कर ले लूंगा तेरा मामला सुलट जाऐगा वरना तू यूं ही चक्कर काटता रहना तेरा काम नहीं होगा उसको अच्छी तरह समझा दूंगा तेरे से लड़ाई झगड़े गाली गलोच भी कभी नहीं करेगा। लेकिन तूझे इस मुकदमे में यह सही काम करवाने के मुझे 50,000 रूपये देने पडेगे तभी मुकदमें में आगे की कार्यवाही ढंग से चालू करूगा। उसने मुझसे यह पचास हजार रूपये रिश्वत के मांगे है जो मै हनुमंत सिहं को नहीं देना चाहता मेरी हनुमंत सिंह से कोई रंजिश उधार या लेन-देन बकाया नहीं है कृप्या कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।'' एसडी श्री विष्णु लखेरा पुत्र श्री महेश चन्द लखेरा जाति लखेरा, उम्र 28 वर्ष निवासी 07, सुनीता कॉलोनी, माल की ढाणी, सांगानेर, जयपुर 9460002860, 9358691802, 11.02.2023 मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांगने का पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन का निर्णय लिया गया।परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू व बंद करने का तरीका समझाकरडिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को जरिये फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया गया। आशीष कानि. 208 को तलब करपरिवादी श्री विष्णु लखेरा से परिचय करवाया जाकर दिनांक 11.02.2023 को समय करीब 6:10 पीएम पर श्री आशीष कानि. 208 को परिवादी को संदिग्ध आरोपी पासरिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया।श्री विष्णु लखेरा का फोन आया कि श्री हनुमंत सिंह एएसआई से उसकी रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में बातचीत हो चुकी है जो उसने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली श्री हनुमंत सिंह एएसआई ने मेरे से मेरे मुकदमे में काम करने के लिए बतौर रिश्वत कुल दस हजार रूपये तय कर के मांगे जिसमें से मौके पर ही पाँच हजार रूपये उसने प्राप्त कर लिये नोटो के नम्बर मुझे पता नहीं है शेष राशि वह मुझ से आईन्दा प्राप्त करेगा।

समय करीब 9:00 पीएम परआशीष कानि. 208 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को पेश कर बताया कि परिवादी की उसकी हनुमंत सिंह एएसआई से वार्ता हुई है जिसके बाद परिवादी को घर पर आपश्यक कार्य होने के कारण नहीं आया परिवादी को हिदायत रूखसत कर वहां से रवाना होकर कार्यालय पहुंचा। श्री आशीष कानि. से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड SanDisk 32 GB में रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया तो मामला रिश्वत मांग का पाया गया। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड वार्ता का रूपान्तरण कार्यालय लेपटॉप की सहायता से तैयार किया गया। दिनांक 16.02.2023 को मन् उपअधीक्षक पुलिस की जरिये मोबाईल परिवादी श्री विष्णु लखेरा से वार्ता हुई जिसने बताया कि मेरे मुकदमा नं. 67/2023 के आरोपी राजाबाबू को हनुमंत सिंह एएसआई थाने पर बुलायेगा अतः मुझे आज वापस हनुमंत सिंह से मेरे मुकदमें के सम्बन्ध में मिलना है। परिवादी को कार्यालय के कानि.

श्री आशीष 208 के साथ पुन: थाना मालपुरागेट जाकर होने वाली वार्ता रिकॉर्ड करने की समझाईश कर मुनासिब हिदायत की गई।श्री आशीष कानि. को बुलाकर कार्यालय की अलमारी में पूर्व में दिनांक 11.02.2023 को हुई रिकॉर्ड वार्ता के सुरक्षित रखे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को निकाल कर आशीष कानि. को सुपुर्द कर परिवादी से मिलकर संदिग्ध की पुन: वार्ता रिकॉर्ड करने की हिदायत की जाकर रवाना किया गया।समय करीब 9:00 पीएम पर कानि. श्री आशीष कुमार 208 ब्यूरो कार्यालय में मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर पूर्व में सुपुर्द डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को पेश कर बताया कि मेरा परिवादी से सम्पर्क हुआ मैं ब्यूरो कार्यालय जयपुर से रवाना होकर थाना मालपुरा गेट, जयपुर के पास पहुचा जहॉ मुझे परिवादी उपस्थित मिला। संदिग्ध आरोपी से पुन: वार्ता रिकार्ड करने हेतु मैंने परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड करने की मुनासिब हिदायत कर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर संदिग्ध आरोपी से वार्ता करने के लिए रवाना किया तथा मैं थाने के पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम हुआ कुछ समय बाद परिवादी ने वापस आकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर सुपुर्द किया जिसको मैंने मेरे पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि वह मालपुरागेट थाने में पहुॅचा जहॉ श्री हनुमंत सिंह एएसआई व अन्य से मेरे मुकदमें के सम्बन्ध में वार्ता हुई, हनुमंत सिंह ने मेरे से मेरे मुकदमें में काम करने के लिए वापिस से पैसे मांगे जिस पर मैंने उसको कहा कि आज तो मैं लाया नहीं उसे परसों मिलने के लिए आश्वासन दिया है। संदिग्ध आरोपी हनुमंत सिंह मेरे से खर्चेपानी के बतौर रिश्वत लेकर शेष पॉच हजार रूपये प्राप्त करके ही मेरे मुकदमें की कानूनी कार्यवाही पूर्ण करेगा। उक्त वार्ता को मैनें डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। अत: अग्रिम कार्यवाही हेतु मै आप लोगों से पुन: सम्पर्क करूगाँ।परिवादी द्वारा बताया गया कि अभी मुझे आवश्यक कार्य है मैं बाद में आपके कार्यालय आ जाऊंगा। जिसके बाद परिवादी को बाद हिदायत रूखसत कर वहां से रवाना होकर कार्यालय पहुंचा। श्री आशीष कानि. से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड SanDisk 32 GBमें रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी के थाना मालपुरा गेट में चल रहे मुकदमें में कार्यवाही करने की ऐवज में पुन: रिश्वत मांग करना पाया गया। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड वार्ता का रूपान्तरण कार्यालय लेपटॉप की सहायता से तैयार किया गया, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को जिसमें वार्ता रिकॉर्ड है, को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया।परिवादी ने मन् उप अधीक्षक का जरिये मोबाईल अवगत कराया कि आरोपी द्वारा कल रिश्वती राशि प्राप्त किये जाने का पूर्ण अंदेशा है। अत: स्वतंत्र गवाहान की कल दिनांक 21.02.2023 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन हेतु आवश्यकता है। इस समय गोपनीय कार्यवाही में बतौर गवाह पाबन्द किये जाने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, राज0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड टर्मिनल मार्केट, जयपुरसे दो गवाह ब्यूरो कार्यालय में भिजवाने हेतु पत्र जारी किया गया तथा कार्यालय हाजा के श्री मनोहर सिंह मुख्य आरक्षी नं. 42 को ट्रेप बाक्स तैयार करने एवं ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाली आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने की हिदायत दी गईतथा कार्यालय में उपस्थित स्टॉफ को भी नियत समय पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की गई। दिनांक 21.02.2023 कोकार्यालय में स्वतंत्र गवाहान श्री धर्मेश खींची हाल वरिष्ठ सहायक व श्री अजय कुमार राड़ हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड टर्मिनल मार्केट, किसान भवन, लालकोठी, जयपुर कार्यालय में उपस्थित आये है।परिवादी श्री विष्णु लखेरा कार्यालय में उपस्थित आया दोनों स्वतन्त्र गवाहान भी कार्यालय में मौजूद थेजिनसे उक्त कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने बाबत् पूछा तो दोनों ने स्वेच्छा से अपनी-अपनी सहमति व्यक्त की, गवाहान को परिवादी के परिवाद का अवलोकन कराया गया। जिस पर कार्यालय के स्टाफ को भी मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने कक्ष में तलब कर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री धर्मेश खींची वरिष्ठ सहायक व श्री अजय कुमार राड़ कनिष्ठ अभियन्ता, परिवादी एवं कार्यालय स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। गोपनीय कार्यवाही में साथ रहने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 11.02.2023 व दिनांक 16.02.2023 को परिवादी श्री विष्णु लखेरा व

संदिग्ध आरोपी श्री हनुमंत सिंह एएसआई के मध्य हुई रिश्वत माँग सत्यापन वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड SanDisk 32 GBमें परिवादी द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड SanDisk 32 GBमें रिकॉर्ड वार्ताओं का रूपान्तरण कार्यालय लेपटॉप की सहायता से तैयार किया गया था, परन्तु कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने के लिये फर्द ट्रान्सक्रिप्ट नहीं बनाई गई थी। स्वतन्त्र गवाहान श्री धर्मेश खींची वरिष्ठ सहायक व श्री अजय कुमार राड़ कनिष्ठ अभियन्ता व परिवादी श्री विष्णु लखेरा के समक्ष मेरे पास सुरक्षित रखा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर कार्यालय आलमारी से निकाला जाकर दिनांक 11.02.2023 व दिनांक 16.02.2023 को रिश्वत माँग सत्यापन वार्ताओं की रिकॉर्ड वाईस क्लिप को गवाहान एवं परिवादी के समक्ष लेपटॉप की सहायता से सुना गया एवं पूर्व में तैयार की गई उक्त वार्ता रूपान्तरण का संबंधित वॉईस क्लिप से स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी द्वारा शब्द ब शब्द मिलान किया गया तथा मौजूदान ने वार्ता रूपान्तरण सही होना स्वीकार किया। उक्त रिकॉर्ड वार्ता की आवाज परिवादी श्री विष्णु लखेरा द्वारा अपनी स्वयं कीएवं आरोपी श्री हनुमंत सिंह एएसआई, संबंधित एवं अन्य की आवाज होना पहचान की।रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।तत्पश्चातपरिवादी श्री विष्णु लखेराको कहने पर अपने पास से संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश कियेउक्त नोटो पर लालू सैनी कानि. 418 से फिनोफ्थलीन पाउडर स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में लगवाया गया। लालू कानि. 418 से परिवादी श्री विष्णु लखेरा की पहनी हुई पेंट की सामने की दांयी जेब में रखवाये गये। कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में नया एसडीकार्ड SanDisk 32 GB का डालकर दोनों का खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी श्री विष्णु लखेरा को सुपुर्द किया तथा परिवादी श्री विष्णु लखेरा को रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही फर्द पेशकशी पृथक से तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

इस समय करीब 3:15 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नीरज गुरनानी, श्री मनोहर सिंह हैड कानि. 42, श्री राजकुमार कानि. 364, श्री बंशीधर कानि.363, श्री मनु शर्मा कानि. 111,एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री धर्मेश खींची वरिष्ठ सहायक व श्री अजय कुमार राड़ कनिष्ठ अभियन्ता मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान जरिये सरकारी वाहन संख्या आरजे 14 युसी 8799 मय चालक एवं परिवादी स्वयं की निजी दुपहिया वाहन आरजे 14 केजी 1820 मय आशीष कानि. के हमरा वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर, जयपुर के पास पहुंचे जहां पर वाहनों को साईड में खडा करवाकर। संदिग्ध आरापी की उपस्थिति मालुम करने हेतु परिवादी द्वारा संदिग्ध आरोपी को फोन करवाये गये लेकिन संदिग्ध आरोपी ने फोन रिसिव नहीं किया इसके पश्चात संदिग्ध आरोपी के फोन आने का इन्तजार किया गया लेकिन उसका फोन नहीं आने पर उसके राजकार्य में सम्भवत: व्यस्तता को ध्यान रखते हुए मय ट्रेप पार्टी व परिवादी एवं आशीष कानि. के पुलिस थाना मालपुरा गेट थाने के पास पहुचनें हेतु हिदायत कर रवाना हुआ। गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए वाहनों को साईड में खडा करवाकर परिवादी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू करवाकर मय उसके निजी वाहन से संदिग्ध आरोपी के पास रवाना किया मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान जाप्ता परिवादी से दूरी बनाते हुये उसके पीछे-पीछे रवाना होकर ट्रेप पार्टी के सदस्यों को आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये पुलिस थाना मालपुरा गेट के पास मुकिम हुये व परिवादी के ईशारे का इतंजार किया गया।कुछ समय बाद परिवादी मय निजी वाहन के पुन: थाने से बाहर आया कुछ दूरी पर उसने मेरे से सम्पर्क कर बताया कि संदिग्ध आरोपी थाने पर नहीं होने की वजह से उसे पुन: मैने फोन किया जिसने मुझे कल सुबह 10 बजे थाने मिलने की कहा। जिसे मैने मेरे मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है और थोडी देर में वार्ता पश्चात डिजीटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर

अपने पास सुरक्षित रख लिया।मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर पर सुना तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई। परिवादी ने बताया कि आज आरोपी थाने पर उपस्थित नहीं होने पर कार्यवाही हो ना सम्भव नही है तथा मुझे भी घर पर आवश्यक कार्य है और कहा कि मै कल दिनांक 22.02.2023 को सुबह 9:30 बजे थाने के पास आपको मिल जाउगा जिस पर परिवादी को पूर्व में पाउडर युक्त 5000/- रूपये की राशि जो आरोपी को दी जाने वाली थी को प्राप्त कर लिफाफे में डाल कानि. श्री बंशीधर को सुपुर्द की तथा परिवादी को आवश्यक हिदायत कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप पार्टी के मय् सरकारी वाहन के सांगानेर से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहूचा ।मन् उप अधीक्षक पुलिस ने बंशीधर कानि. के पास पूर्व में सरक्षित रखवाये गये पाउडर युक्त राशि का लिफाफा एवं डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड के कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहन एवं कार्यालय स्टाफ को कल दिनांक 22.02.2023 को 9:00 एम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने तथा कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रवाना किया।

दिनांक 22.02.2023 को मन उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय में उपस्थित आया तथा पूर्व में पाबन्दशुदा कार्यालय का स्टाफ तथा स्वतन्त्र गवाहान श्री धर्मेश खींची वरिष्ठ सहायक व श्री अजय कुमार राड़ कनिष्ठ अभियन्ताभी कार्यालय में उपस्थित आये पूर्व में परिवादी से प्राप्त पाउडर युक्त रिश्वत राशि का लिफाफा कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया को कानि. बंशीधर 363 से निकलवाकर उसके पास सुरक्षित रखवाया गया तथा कानि. बंशीधर को हिदायत दी गई कि परिवादी को उक्त रिश्वत राशि सुपुर्द करे तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने पास सुरक्षित रखा। समय करीब 9.30 एएम मन् उप अधीक्षक पुलिस नीरज गुरनानी, श्री मनोहर सिंह हैड कानि. 42, श्री राजकुमार कानि. 364, श्री बंशीधर कानि.363, आशीष कानि. 208 श्री मनु शर्मा कानि. 111, एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री धर्मेश खींची वरिष्ठ सहायक व श्री अजय कुमार राड़ कनिष्ठ अभियन्ता मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान जरिये सरकारी वाहन संख्या आरजे 14 युसी 8799 मय चालक के हमरा वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से सांगानेर की तरफ रवाना हुआ सम्बन्धित को मुनासिब हिदायत की गई।मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही ट्रेप पार्टी के ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर थाने से कुछ दूर पहले पहुच सरकारी वाहन को सड़क के किनारे खड़ा करवाया जहॉ पूर्व में पाबन्दशुदा परिवादी विष्णु लखेरा उपस्थित मिला जिसको दोनों गवाहान के सामने रिश्वत राशि लिफाफा जो कानि बंशीधर 363 के पास सुरक्षित रखवाया गया था बंशीधर से लिफाफे में से रिश्वत राशि लिकलवाई जो 500-500 के दस नोट कुल 5000/- रूपये के नोटों के नम्बरों को पूर्व में तैयार फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों से दोनों गवाहान से मिलान करवाया जाकर कानि. बंशीधर 363 से आरोपी को परिवादी द्वारा दी जाने वाली पाउडर युक्त राशि को परिवादी विष्णु लखेरा की पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब रखवाई गई तथा परिवादी को हिदायत दी गई की आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त राशि संदिग्ध आरोपी को सुपुर्द करें इससे पूर्व इसे नहीं छुये तथा कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड को परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालु बन्द व वार्ता रिकॉर्ड करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया तथा हिदायत दी गई की संदिग्ध आरोपी से सम्पर्क करने से पूर्व डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालु कर लेवें जिससे उसके एवं संदिग्ध आरोपी के बीच रिश्वत के लेनदेन के समय होने वाली वार्ता रिकॉर्ड हो सके। बंधीधर कानि. 363 से लिफाफा जलवाया गया दोनों स्वतंत्र गवाहन एवं बंशीधर कानि. के हाथों को साबुन पानी से धुलवाया गया तथा दोनों गवाहान को हिदायत दी गई की संदिग्ध आरोपी व परिवादी के मध्य रिश्वत के लेनदेन एवं होने वाली वार्ता को देखने एवं सुनने का प्रयास करें तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फेर तथा मन् उप अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर ईशारा करने की परिवादी को आवश्यक हिदायत कर संदिग्ध आरोपी से सम्पर्क करने हेतु पुलिस थाना मालपुरा गेट, जयपुर के लिए रवाना किया गया

तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी परिवादी के पीछे-पीछे आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस भी पीछे-पीछे रवाना हुआ।समय करीब 10.22 एएम पर श्री विष्णु लखेरा पुत्र श्री महेश चन्द लखेरा जाति लखेरा, उम्र 28 वर्ष निवासी 07, सुनीता कॉलोनी, माल की ढाणी, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को पूर्व हिदायतानुसार मोबाईल पर मिस कॉल कर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लिये जाने का ईशारा किया। ईशारा मिलने पर आस-पास खड़े मुकीम ट्रेप पार्टी के सदस्य एवं स्वतंत्र गवाहान को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने साथ लेकर पुलिस थाना मालपुरा गेट, जयपुर के अन्दर पहुंचकर बांये हाथ की तरफ दूसरा छोटा कक्ष जिसके बाहर अनुसंधान कक्ष लिखा हुआ है वहां उपस्थित परिवादी को पूर्व में सुपुर्द किया हुआ डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखा। परिवादी विष्णु लखेरा ने अपने पास उस कक्ष में बैठे वर्दी पहने व्यक्ति जिस की वर्दी पर एक स्टार लगा हुआ है पहने व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह श्री हनुमंत सिंह एएसआईहैं। जिसने मुझसे अभी-अभी 5,000 रूपये रिश्वत राशि अपने दांये हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई वर्दी की आगे की दांयी जेब में रखे हैं। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना व ट्रेपपार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उस व्यक्ति से परिचय पूछा तो उसने अपना नाम पता हनुमन्त सिह पुत्र श्री हजारी लाल, उम्र 52 वर्ष, जाति गुर्जर निवासी गांव खुर्री कलाँ थाना सैथल, जिला दौसा हालएएसआई थाना मालपुरा गेट, जयपुर (पूर्व), जयपुर होना बताया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री हनुमंत सिंह एएसआई को परिवादी श्री विष्णु लखेरा से 5,000 रूपये ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो श्री हनुमंत सिंह ने बताया कि मै मालपुरा गेट थाने में एएसआई के पद पर कार्यरत हू । मेरे पास एक मुकदमा 67/2023 अन्तर्गत धारा 420, 406, 504, 506 आईपीसी में पुलिस थाना मालपुरा गेट ,जयपुर का अनुसंधान अधिकारी हूँ। उक्त मुकदमें में विष्णु लक्षकार (विष्णु लखेरा) ने राजाबाबू साहू के विरूद्ध जरिये कोर्ट इस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें उसने राजाबाबू द्वारा उससे 3,75,000/-रूपये प्राप्त करके एक चैक प्राप्त करना तथा उसका बैंक में भुगतान पर रिटर्न हो जाना बताया जिस पर मैंने अनुसंधान करते हुए राजाबाबू साहू से पूछताछ की तथा विष्णु लखेरा के बयान 08.02.2023 को लेखबद्ध किये बाद अनुसंधान मैंने इस मुकदमें मामला एफआर अदम वकू सिविल नेचर में पाया जाने पर दिनांक 20.02.2023 को अन्तिम केस डायरी कता कर पत्रावली वास्ते आदेश एफआर श्रीमान् थानाधिकारी महोदय् को प्रस्तुत की, जो उनके कार्यालय कक्ष की टेबल पर रखी है। जिस पर थानाधिकारी के कमरे जिसमें थानाधिकारी मौजूद नहीं थे थाना स्टाफ को हमरा लेकर उक्त मुकदमें की पत्रावली प्राप्त की गई। आरोपी श्री हनुमन्त सिंह आगे बताया कि आज दिनांक 22.2.2023 को को सुबह करीब 10 बजे विष्णु लखेरा मेरे पास थाने पर आया और कहा कि मेरे मुकदमें में क्या कर रहे हो जिस पर मैंने कहा की मैने सिविल नेचर में एफआर दे दी है आप धारा 138 सीआरपीसी में कोर्ट द्वारा ही कार्यवाही करो। इसके बाद विष्णु लखेरा ने मुझे कुछ रूपये देने लगा तो मैने मना कर दिया तो इसने मुझे जबरदस्ती हाथ में दिये तो मैंने दांये हाथ में लेकर रूपये लेकर वापस देने लगा व विष्णु लखेरा मेरे कमरे से बाहर निकलने लगा तब मैंने ये उधार के तौर पर पांच हजार रूपये अपनी पहनी हुई वर्दी की आगे की दांयी जेब में रख लिये। इसके पश्चात मौके पर मौजूद परिवादी श्री विष्णु लखेरा ने श्री हनुमंत सिंह एएसआई के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि मैंने मेरे एक मुकदमा 67/2023 विरूद्ध राजाबाबू के है जिसमें श्री हनुमंत सिंह एएसआई मालपुरा गेट, जयपुर अनुसंधान अधिकारी है। इन्होने मुझे कहा कि तेरा काम हो जायेगा मै राजाबाबू के खिलाफ कार्यवाही करूगां तथा तुझे आगे जाकर फायदा होगा, उसका कोर्ट में चालान पेश कर दूंगा तू मुझे दस हजार रूपये दे दो। यही थानेदार की रेट है जिस पर मेरे से हनुमन्त सिह ने दिनांक 11.02.2023 को मांग सत्यापन कार्यवाही के दौरान पॉच हजार रूपये लिये थे और शेष पॉच हजार रूपये देने हेतु दिनांक 21.2.23 को श्री हनुमंत सिह से मिलकर इनको शेष पॉच हजार रूपये देने के लिए आया तो ये थाने पर नहीं मिले जिस पर मैंने मेरे मोबाईल नम्बर 9460002860 से हनुमंत सिंह थानेदार जी के मोबाईल नं. 7014165040 पर फोन किया

तो इन्होने कहा कि कल सुबह 10 बजे थाने पर आ जाना जिस पर इनके कहे अनुसार मै आज आप लोगों के साथ कार्यवाही के लिए आया और मै थाने पर अन्दर गया तो हनुमंत सिंह जी थाने के अन्दर बाई तरफ दूसरे छोटे कक्ष में बैठे हुए थे जिनसे मैने मेरे मुकदमें के बारे में बातचीत की तो इन्होने कहा कि मै प्रमाणित कर रहा हूँ कि चैक पर साईन राजाबाबू के ही है वो झूठ बोल रहा है तुझे कोर्ट में फायदा मिलेगा मैने उसको कह दिया है जेल जायेगा हस्ताक्षर उसी के है प्रमाणित कर के भेज रहा हूँ साईन मैच कर रहे है। तू मस्त रह तेरा काम हो जायेगा। फिर मैनें हनुमंत सिंह के मांगे अनुसार शेष 5000/-रूपये उन्हें दिये तो हनुमन्त सिंह ने 5000/- रूपये दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई वर्दी की शर्ट की आगे की दांई जेब में रख लिये जिस पर मैने आपको मिस कॉल करके इशारा किया तब आप लोग यहॉ आ गये। इस पर पुनः श्री हनुमंत सिंह एएसआई से उक्त रिश्वत के लेन-देन के संबंध में पूछा गया तो हनुमन्त सिहं ने उक्त रिश्वत के सम्बन्ध में पूर्वानुसार ही कथन किया लेकिन मामला रिश्वत लेनदेन का पाया जाने पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए श्री हनुमंत सिह एएसआई के पहनी हुई वर्दी की सामने की दांयी जेब में रखे 500-500 रुपये के नोटों को स्वतंत्र गवाह श्री अजय कुमार राड़ से निकलवाकर उसी के पास सुरक्षित रखवाये गये। इसके बाद ट्रेप बॉक्स में से साबुन से धुले दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर थाने से एक जग में साफ पानी मंगवाकर दोनों गिलासो में साफ पानी डालकर दोनों गिलासो को धुलवाकर तथा दोनों गिलासो में साफ पानी डालकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया जाकर स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् कांच के एक गिलास के घोल में आरोपी श्री हनुमंत सिह के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवनों का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो-दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क R-1 व R-2अंकित कर संबंधितो हस्ताक्षर करवाये। इसी प्रकार दूसरे कॉच के गिलास में तैयारशुदा घोल में आरोपी श्री हनुमंत सिह के बांयें हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवनों का रंग गदमैलाहो गया जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने गदमैला रंग होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो-दो साफ कांच की शीशियो में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर संबंधितो हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया।इसी प्रकार एक अन्य साफ कांच के गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाकर शर्ट मंगवाकर आरोपी की पहनी हुई वर्दी की शर्ट को उतरवाकर सिविल शर्ट पहनाई गई तथा आरोपी हनुमंत सिंह के बदन से उतरवाई गई वर्दी की शर्ट की दांहिनी जेब को उलटवाकर तैयारशुदा कांच के गिलास में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो अन्य साफ कांच की शीशियो में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क S-1 व S-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया तत्पश्चात वर्दी की दाहनी जेब को सुखाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में सील मोहर कर मार्क ''S'' अंकित कर पैकिट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात स्वतन्त्र गवाह श्री अजय कुमार राड़ के पास पूर्व में सुरक्षित रखवाई गई रिश्वत राशि के नोटों को दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये हुबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। उक्त नोटों के नम्बरो का विवरण निम्न प्रकार है:-

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 ES 028667
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 CP 086796
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 HR 628163
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 EP 185767
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 HU 406121

6.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 BE 852726
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 EU 390015
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 NB 100323
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 BC 556794
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 UB 024623

उपरोक्त 5,000 रूपये के नोटों को सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया।मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी से पूर्व में प्राप्त विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर चला कर सुना गया तो आरोपी श्री हनुमंत सिंहव परिवादी के मध्य रिश्वत लेन-देन की वार्ता होना पाई गई।

परिवादी के मुकदमा नं. 67/2023 की पत्रावली का सरसरी तौर पर अवलोकन किया गया थाना हाजा से पत्रावली की प्रमाणित छाया प्रति प्राप्त की तथा संबंधित के हस्ताक्षर करवा शामिल की गई।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वति राशि तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तत्पश्चात आरोपी श्री हनुमन्त सिंह हाल एएसआई थाना मालपुरा गेट, जयपुर (पूर्व), जयपुर से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात आरोपी हनुमन्त सिंह को उसके व परिवादी के मध्य दिनांक 11.02.2023 एवं दिनांक 16.02.2023 को मांग सत्यापन के समय तथा दिनांक 22.02.2023 को रिश्वत लेनदेन के सयय हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई के सम्बन्ध में अपनी आवाज का नमूना देने बाबत् पूछा तो उसने अपनी आवाज का नमूना नहीं देने बाबत् लिखित में मना किया जिसकी पृथक से फर्द प्राप्ति नमूना आवाज तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री हनुमन्त सिंह को परिवादी विष्णु लखेरा से रिश्वत प्राप्त किये जाने के जुर्म में उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जिसकी गिरफ्तारी की सूचना मौके पर उपस्थित उसके पुत्र श्री हरिओम को दी गई। परिवादी विष्णु लखेरा की निशादेही पर घटना स्थल का फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका तैयार किया गया। मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर परिवादी विष्णु लखेरा को कल दिनांक 23.02.2023 को सुबह 10:00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया गया मन उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप पार्टी सदस्य, स्वतंत्र गवाहान, शिल्डशुदा आर्टिकल्स मय गिरफ्तारशुदा आरोपी को साथ लेकर सरकारी वाहन मय चालक के मौके से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया।

दिनांक 23.02.2023 को समय करीब 12.50 पीएम पूर्व में पाबंदशुदा परिवादी श्री विष्णु लखेरा व दोनों स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर दिनांक 21.02.2023 को फोन पर हुई वार्ता तथा दिनांक 22.02.2023 को परिवादी श्री विष्णु लखेरा तथा आरोपी श्री हनुमन्त सिंह एएसआई के मध्य हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में परिवादी द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने हेतु स्वतन्त्र गवाहान श्री धर्मेश खींची व श्री अजय कुमार राड़ व परिवादी श्री विष्णु लखेरा के समक्ष मेरे पास सुरक्षित रखा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर कार्यालय आलमारी से निकाला जाकर गवाहान एवं परिवादी के समक्ष लेपटॉप की सहायता से सुना जाकर वॉईस क्लिप का वार्ता रूपान्तरण कार्यालय लेपटॉप की सहायता से तैयार किया जाकर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी द्वारा शब्द ब शब्द मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण सही होना स्वीकार किया। परिवादी विष्णु लखेरा ने अपनी व आरोपी हनुमन्त सिंह एएसआई की आवाज की पहचान की। रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत

राशि लेनदेन पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।शिल्डशुदा आर्टिक्लस पर लगाई गई नमूनाशील की फर्द नमूना शील दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादीके समक्ष पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से परिवादी श्री विष्णु लखेरा श्री विष्णु लखेरा के मुकदमा नं. 67/2023 थाना मालपुरा गेट, जयपुर के अनुसंधान में सही काम करने व मुकदमें में आगे की कार्यवाही ढंग से चालू करने, आरोपी द्वारा लड़ाई झगड़ा एवं गाली गलोच नहीं करने तथा मुकदमें के माध्यम से मामले में पूरा फायदा पहुचाने तथा आरोपी के हस्ताक्षरों को प्रमाणित/ मैच करने तथा मुकदमें में आरोपी को जेल भिजवाने की ऐवज में 10,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की जाकर दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 11.02.2023 को परिवादी से 5000/-प्राप्त किये तथा दिनांक 22.02.2023 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन के दौरान आरोपी श्री हनुमन्त सिंह द्वारा परिवादी से शेष राशि 5,000/ रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया जाकर रिश्वत राशि 5000/- रूपये आरोपी की पहनी हुई वर्दी की शर्ट की आगे की दाहिनी जेब से बरामद होने का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

अत: आरोपी श्री हनुमन्त सिंह पुत्र श्री हजारी लाल, उम्र 52 वर्ष, जाति गुर्जर निवासी गांव खुर्री कलाँ थाना सैथल, जिला दौसा हाल एएसआई थाना मालपुरा गेट, जयपुर (पूर्व), जयपुरके विरूद्ध अपराध अन्तर्गत 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

भवदीय

(नीरज गुरनानी)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री हनुमन्त सिंह, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना मालपुरा गेट, जयपुर (पूर्व), जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 47/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

23/2/23
(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक-पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

क्रमांक 366-69 दिनांक 23.2.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1 जयपुर।
2. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर।

23/2/23
उप महानिरीक्षक-पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर